8/13 कमली - बहादुर सिंह

दिनांक	आज्ञा पत्र	
5/2/2018	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि योग्य अदालत मातहत मे एक दावा उनवानी हजारीलाल बनाम सोहनलाल मु0नं047/2011 पेश किया गया । जिसमे ग्राम होद की आराजी ख0न0 585 रकबा 0.76 हैक्टर का पेश किया । इस दावे में उक्त आराजी की खातेदारीअपीलान्टस्(प्रतिवादी सं0-8 व 9) के नाम से बताकर दावा पेश किया । अन्य ख0न0 586 से 588, 590 से 592, 602, 603, 608, 615, 585 कुल किता-13 रकबा 4.28 हैक्टर तथा ख0नं0 570 से 579, 582, 584, 569 कुल किता 14 रकबा 3.69 हैक्टर ग्राम होद में स्थित तथा ग्राम पदमपुरा मे ख0न0 65 व 69 के बाबत उद्घोषणा का दावा पेश किया गया । जिसमे प्रतिवादीगण की तामिल हेतु नोटिस निकाले गये जिनमे अपीलान्टस् के नोटिस पर झुठी तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट करवाकर पेश करवा दी तथा रेस्पोडेन्ट का दावा बिना विधिक तामिल के ही डिक्री करवा दिया । जिसका ज्ञान होने अपीलान्ट ने अदालत मातहत के एकपक्षीय आदेश दिनांक 3-3-2011 के विरूद्ध अदालत मातहत मे प्रार्थना पत्र आदेश-9 नियम-13 सीपीसी का पेश किया । जिस पर अदालत मातहत ने बिना तथ्यो की जाच किये ही मेरा प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है । योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । हजारीलाल(रेस्पोडेन्ट सं0 1 से 6 के पूर्वज) ने अदालत मातहत में दावा बिना किसी आधार के पेश किया है जिसमें ख0नं0 585 रकबा 0.75 हैक्टर की खातेदारी अपीलान्टस् के नाम बताते हुये दावा पेश किया जिसमें अपीलान्ट	

दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किये बिना ही पारित कर दावा डिक्री कर दिया । जबकि उक्त विवादित आराजी पर अपीलान्टस् के पूर्वजों का कब्जा पहले से ही लगातार रहा है ।इस ओर कोई गोर न कर अपीलान्ट की तामिल फर्जी तौर पर तामिल कुन्निदा से करवाई जाकर तामिल प्रकिया को सीपीसी के प्रावधानों के विपरित मानकर आदेश पारित किया है जबकि अपीलान्ट की तामिल फर्जी तौर पर की गई है ।अपीलान्ट के घर पर कोई तामिल कुन्निन्दा नोटिस लेकर नहीं गया तथा ना ही कोई नोटिस अपीलान्टस् के घर पर चस्पा किया गया है ।नोटिस आदेश-5 नियम 18 से 20 सीपीसी के प्रावधानो के अनुसार नहीं करवाई गई । अदालत मातहत ने इस बिन्दू पर कोई गोर न कर तामिल मानी जाकर आदेश पारित किया है जबकि जब नोटिस चस्पा कर तामिल करवाई जाती है तो उसके लिये न्यायालय से चस्पांदगी के आदेश के बाद ही तामिल चस्पांदगी से करवाई जाती है। अदालत मातहत ने इस ओर कोई गोर न कर अपना आदेश पारित किया है । अदालत मातहत ने अपीलान्टस् की एकतरफा कार्यवाही कर उनके कब्जा काश्त एवं खातेदारी की आराजी को वादी के पक्ष में डिक्री किये जाने का आदेश विधि के विपरित है ।अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम-13 सीपीसी स्वीकार कर अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाकर आदेश पक्षकारों की साक्ष्य लेकर पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमों में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया

अपीलान्ट की तामिल फर्जी तौर पर करवाई गई है । अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाकर निर्णय पुनः करने हेतु रिमाण्ड किये जाने का निवेदन किया बहस के समर्थन मे नजीर डीएनजे(राज0) 1998 पेज 78, आरआरटी 2013(2) पेज 1211 डीएनजे(राज0) 2011(3) पेज 1403 पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त कर प्रकरण अदालत मातहत को रिमाण्ड किया जावे कि वह अपीलान्ट को सुनवाई एव साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुये अपना निर्णय पुनः पारित करें ।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में अदालत मातहत के निर्णय को उचित ठहराते हुये कथन किया कि योग्य अदालत मातहत में अपीलान्ट को नोटिस विधिवत तामिल हेतु भेजे गये। उन्होने नोटिस लेने से इन्कार किया है । इसके बाद नोटिस इनके खुल्ले मकान पर चस्पा किया गया है । तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट है जिस पर गवाहों के हस्ताक्षर है। यदि तामिल कुनिन्दा ने नोटिस की तामिल फर्जी तौर पर करवाई है तो उसके विरूद्ध मुकदमा दर्ज करवाना चाहिये था । किन्तु अपीलान्ट ने ऐसा नही किया । तामिल सम्यक रूप से विधिवत हुई है । अदालत मातहत ने इनका प्रार्थना पत्र सही एवं नियमानुसार खारिज किया है । जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल नही है । अपील खारिज की जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । इस अपील मे केवल तामिल प्रक्रिया को देखा जाना है। इसमें राजस्व रेकार्ड के अवलोकन की आवश्यकता नहीं है । अपीलान्ट सं0-1 कमली एवं अपीलान्ट संख्या-2 श्रवण के नोटिसों की पुश्त पर स्पष्ट लिखा है कमली पत्नी कानाराम श्रवण पुत्र कानाराम घर पर मौजूद मिले नोटिस लेने व हस्ताक्षर करने से मना किया। अतः नोटिस की एक प्रति उसके उत्तर/दक्षिण में खुलते मकान पर चस्पा

दिनांक	आज्ञा पत्र	

किया गया । जिस पर चस्पांदगी के गवाहों के हस्ताक्षर हैं । अपीलान्ट की तामिल सम्यक रूप से करवाई गई है । अपीलान्ट की तामिल फर्जी तौर पर करवाई गई है तो अपीलान्ट ने तामिल कुनिन्दा के खिलाफ कोई कार्यवाही की हो ऐसी भी कोई साक्ष्य नहीं है । अदालत मातहत ने अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र तामिल सम्यक रूप से मानकर खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं मानते हैं। अपीलान्ट ने जो नजीर पेश की है उनके तथ्य भिन्न है जो प्रकरण पर चस्पा नहीं है ।

अतः अपील अपीलान्ट साबित नहीं होने से अपील खारिज की जाती है तथा विद्वान सहायक कलेक्टर खण्डेला का निर्णय दिनाक 7-6- 2013 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सुनाया गया ।

5/2/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)

भू-प्रबन्ध अधिकारी

पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी

सीकर